>

Title: Need to create employment opportunities with a view to check child labour in the country.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बाल श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। बाल श्रम काला धन पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। बच्चों को काम पर इसलिए रखा जाता है, क्योंकि उन्हें कम वेतन देना पड़ता है। एक बच्चे पर नियोक्ता को बीस रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, जबकि एक व्यस्क व्यक्ति की मजदूरी 120 रुपए पड़ती है। इस प्रकार बच्चों को काम पर रखने से नियोक्ता को सौ रुपए की बचत होती है। यदि देश के छह करोड़ बाल श्रमिकों की जगह व्यस्क लोगों को रोजगार दिया जाए, तो छह सौ करोड़ रुपए रोजाना अधिक खर्च करना पड़ेगा। यदि बच्चे साल के दो सौ दिन भी काम करते हैं, तो यह रकम एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए हो जाती है। गैर कानूनी रूप से अर्जित यह राशि काला धन ही है।

भारत दुनिया के कुछ उन देशों में से है, जिसने बाल श्रम के खिलाफ प्रारम्भिक दौर में कुछ कानून बनाए थे। हमारे यहां बाल श्रम से संबंधित पहला कानून वर्ष 1933 में बना था। वर्ष 1938 में बाल रोजगार अधिनियम नामक दूसरा कानून बना। इसके बाद अब तक लगभग 12 अलग-अलग कानून बनाए जा चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कानून 1986 में बना कानून है, जिसके अंतर्गत दर्जन भर उद्योगों में, जिन्हें खतरनाक मान कर बाल श्रम पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन खेत की पगडंडी से ले कर महानगर की गलियों तक इन कानूनों का उल्लंघन खुलेआम जारी है। वास्तव में यह समस्या कानूनों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन न होने की वजह से बनी हुई है। यदि न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों पर सभी राज्य सरकारें कड़ाई से अमल करें, तो बाल मजदूरों की संख्या घटने में अधिक दिन नहीं लगेंगे। अतः आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बाल श्रम को रोकने के लिए उनके माता-पिता को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और ऐसी स्थितियां बनाई जाएं कि बच्चों को इसके लिए मजबूर न होना पड़े तथा देश के सभी जिलों में बाल श्रमिकों के सम्पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

MR. CHAIRMAN:

Shri P.L. Punia,

Shri Ashok Argal and

Shri Nikhil Kumar Choudhary are allowed to associate with the issue raised by Shri Virendra Kumar.